



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231005
CG-DL-E-10112021-231005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4272]
No. 4272]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2021/कार्तिक 19, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021/KARTIKA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2021

का.आ. 4637(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'असम भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड' (पैन-एएएजेए2255एम) को, जो कि असम राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बोर्ड है को उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात: -

- (क) प्राप्त श्रम उपकर;
- (ख) लाभार्थियों का पंजीकरण शुल्क;
- (ग) सदस्यों का अंशदान;
- (घ) बिक्री पर पूंजीगत लाभ/निवेशों का मोचन; तथा
- (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि असम भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड,-

- (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 131/2021/फा. सं. 300196/30/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2021

S.O. 4637(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Assam Building and Other Construction Workers Welfare Board' (PAN AAAJA2255M), a Board constituted by the State Government of Assam, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Labour cess received;
- (b) Beneficiaries registration fees;
- (c) Members contribution;
- (d) Capital gain on sale/redemption of investments; and
- (e) Interest income earned on (a) to (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Assam Building and Other Construction Workers Welfare Board, -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 131/2021/F. No. 300196/30/2021-ITA-1]

SOURABH JAIN, Under Secy.